

DIGVIJAI NATH POST GRADUATE COLLEGE, GORAKHPUR-273001

Affiliated to :D.D.U. Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

2: 0551-233454 **3** 19792987700


e-mail: digvijayans@gmail.com, dnpggkp@gmail.com, website: www.dnpgcollege.edu.in

7.1.12

Rules and Regulations of the College

- 1. Rules of Association of the Maharana Pratap Shiksha Parisad and Memorandum of Association of College
- 2. College Code of Conduct
- 3. College Brochure

Rules of Association of the Maharana Pratap Shiksha Parisad & Memorandum of Association Of Digviajinath P.G. College, Gorakhpur



Scanned by CamScanner

RULES OF ASSOCIATION OF THE MAHARANA PRATAP SHIKSHA PARISHAD GORAKHPUR.

- Rule 1. The registered office of the Parishad shall be located at Gorakhpur.
- The Foundation Members of the Parishad, Patrons, Life Members Rule 2. and Associate Members for the time being shall continue to be members of the Parishad.
- Fulle 3. All the properties of every nature movemble or immoveable acquired heretofore or to be acquired hereafter belonging to the Parishad or to the institutions run by the Parishad shall vest in the Parishad.
 - (2) The affairs and the management of the Parishad including the management and control of the institutions and organizations run by or under the Parishad and the control and management of the in it or in the institutions run by it and supervision of other activites taken up by the Parishad shall vest exclusively in a Governing Council, which shall be called the "Governing Council of the Parishad."

Without prejudice to the general powers conferred under sub-rule (2) above, the Governing Council snall interallia exercise the following powers:-

- to take over, establish, maintain and run institutions, colleges, research institutes, dispensaries, libraries, reading rooms, museum, art galleries etc.
- (b) to acquire land, buildings and other moveable and immoveable properties by purchase or

to construct buildings and other structures for the purpose of or connected with the

(d) to accept gifts, grants and subsidies, d donations, etc. and to raise money for the purposes of the Parishad.

- (e) to lend or borrow money and to sell, lease or mortgage the property of the Parishad on such terms and conditions as it may think to be in the best interest of the Parishad.
- (f) to grant scholarships and to give other financial help to poor and deserving persons specially students;
- (g) to acquire, finance or run a daily, weekly हिन्द्रियनाव पी० जी० कालेज monthly paper and to start a printing press;

दिग्वजयनाथ पीठना कुरान्त्राज

- (h) to enter into and to secure the fulfilment of the contracts and other engagements entered into by by or on behalf of the Parishad.
- (i) to appoint, remove or suspend/the sergants of the Parishad and of the institutions and organizations which are maintained by it and

कर अपेश, एतपान्ड

विश्वजयनाथ पो० जी० चारे वोरखपुर

- (j) to institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Parishad.
- (k) to refer any claims by or against the Parishad to arbitration;
- (1) to provide money for establishing, maintaining and running institutions, colleges, libraries, reading rooms, dispensaries etc. and for all other activities, which may be taken up by the Parishad for achieving all or any of its objects;
- (m) to invest and deal with the moneys of the Parishad or the institutions run by it which is not immediately required in such manner as it may think fit:
- (n) To dispose off and transfer in any manner whatever the properties for the time being vested in the Parishad or in the institutions run by it.

The Governing Council may, subject to its general control and supervision and such restrictions as it may like to impose, delegate all or any of its powers to any person.

The acts of the Governing Council shall be valid notwithstanding any vacancies in the membership from any cause whatsoever.

Foundation members of the Parishad for the time being shall hold office for their lives.

A members of the Governing Council may resign his office by writing under his hand addressed to the President of the Governing Council.

A member may be removed from the membership of the Governing Council

- (i) if he fails to attend 5 consecutive meetings of the Governing Council without satisfactory reasons;
- (ii) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (iii) if, he is an undischarged insolvent;
- (iv) if, he is convicted by a court of law, of and offence involving moral turpitude; and
 - if, he does any act of omission of commission which he knows will be, or is प्राचीय likely to be injurious to the interest of the men the Parishad.

Provided that no such member shall be removed from his office unless a resolution to that effect has been passed by the Governing Council, at a special meeting convened for the purpose by a majority of not less than t of the total members present in the meeting and of which at least 15 days notice has been given to each member.



(b)

(Y)

प्राची (०)

विग्वजयनाथ पी०जी० कालेज

जानार पिक्वयनाय पी० कालेक वोरल

नहां कर रिक्ट्रार करोबाइटीय तथा चिट्रत Rule 5.

All vacancies among the Foundation Members in the Governing Council shall be filled by election by Poundation Members, for the time being, present in the meeting from amongst the Life members.

- Four members shall form a quorum for all such (b) meetings.
- All casual vacancies among members, other than the Foundation Members, of the Coverning Council shall be filled up by election by the members for the time being of the said Council present in the meeting specially convened for the purpose and of which 15 day's notice has been given to each member of the Council (c) of the Council.
- (d) For the purposes of clause (a) of this rule each Foundation Number and for the purposes of clause(c) each member of the Governing Council present shall have one vote in respect of each vacancy, which is to be filled up in that meeting.

The persons who obtains the highest number of votes shall be declared to have been elected in that vacancy. But in case of tie between or more persons the receive the largest number of votes the Chairman the casts his vote shall be declared to have been elected. Votes shall be taken by show of hands.

Aperson who is elected in the vacancy caused gainst the Foundation Members shall be deemed to be a Poundation Member for all purposes.

Rule 6. (1)

(e)

In these rules: -

A patron: means a person who has paid or shall hereafter pay & 1,000/- or more in lump sum to the Parishad as donation and shall agree in writing to the objects and to abide by its rules and regulations.

An Associate Member: means a person who has paid, on or before the 1st day of July 1959, Rs 100/- or more in a lump sum or who shall thereafter pay donation, and shall agree in writing to promote its object and to abide by its rules and regulations.

दिग्विजयनाथ पीठजीर कारोज **मोरख**पुर

(0)

(a)

5 AUG 1964

A life Member means a representative of institutions and/by or affiliated by/or to the Parishad, or who has in the opinion of the Governing Council, rendered some special service to the Parishad or who takes active interest in promoting all or any of the objects for which the Parishad has been established and whose name has been entered in the register of the "Life Members" of the Parishad at the instance of the Instance of the Instance of th the "Life Members" of the Parishad at the instance Told of the Governing Council.

विक्विजयनाथ पी० जी॰ कासेट

बोरखपर

चिविजयनाथ पी० जी० कालेज Provided that mere payment of the amount mentioned ing clause a, b, shall not entitle any one to become a Patron, Associate member or Life Member unless he has been so approved by the Governing Council by a resolution supported by at least throi the members.

The Governing Council may remove a 'Patron', a 'Life Member' or an 'Associate Member' from its membership

misingle

- (1) is aind and stands so declared by to at court, or,
 (11) is an radischarged insolvent, or,
- (iii) is convicted by a court of law of an offence involving moral trrpitude, or,
- (iv) is found to have committed a breach of rules and regulations of the Parished, or,
- (v) does any act which in the opinion of the Governing Council is injurious to the interest of the Parishad.
- Rule 7. (a) Out of the five members referred to in clause(b) of Article 4 of the Hemorandum of Association of the Parishad. One member from amongst the Patrons ?

(c)

(b) two members from amongst the Associate Members of the Parishad shall be elected by the Governing

The remaining to members out of the five members referred to lause (b) of Article 4 of the Memorandum of Association of the Parishad shall be elected by the Coverning Council from amongst its

Persons elected under rule 7 above shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Rule 9. If a member who represents the 'Patron' or the 'Life Members or the 'Associate Manager' on the Governing Council, dies, so caused shall be fi hed by the Governing Council from the hold office for the remaining term of the member in whose

Rule 10. Five members present shall form the quorum for a meeting of the Governing Council of the Parishad and one fifth of 5 AUG 1000 General Meeting of the Parishad.

Rule 11. Each member shall have to and all questions coming before the Governing Councy voof the Parishad or the General body of the Parishad shall be decided by majority of votes of the members present at the meeting. In case of a tie the Chairman shall have a second or casting vote.

Rule 12. The Governing Council shall elect its President from amongst the 'Foundation Members'. The Governing Council shall also elect a vice-President and Secretary and a Vice-President, the Hony, General Secretary and the Secretary so elected shall also be the President, the Vice-President and Hony, General Secretary and the Vice-President and Hony, General Secretary of the Parishad for re-election. Such election shall ordinarily take place every fourth year in the agenth of April or after.

13. The Governing Council shall mest at least once a year, and may meet as often as necessary.

N. welle

विविवयनाथ पो॰ बी॰ कार्न

Rule 14. A General Meeting of called once in every Council so desires it necessary.

ordinarily be the Governing an often as may be

- A report of the activity and other matters relating to Rule 15. the Parishad for the period under review shall be placed before the General Meeting of the Parishad and a Statement of accounts for each year relating to that period shall be made available to the members of the Parishad.
- Rule 15A. (a) An auditor shall be appointed in the General Meeting of the Parishad and he shall hold office for 3 years.
 - The accounts of the Parishad shall be audited at the close of every financial year (from 1st April to 51st March) and the report submitted by the Auditor shall be duly considered and passed by the Governing
- The Honorary General Secretary may when necessary or when so directed by the 'President' of the Governing Council, call a special meeting of the Governing Council of the Parishad to transact such business as may be notified. Such meeting may also be called on the requisition of the members of the Council but their number shall not be less than one third of the cal number of members. Rule 16.

The Governing Council may make regulations for running, baintaining, managing and controlling the institutions and observations, which may be established or taken over by the Parishad, and for regulating other activities, which supposes, provided that they are not inconsistent with these rules or the provisions of the Societies Registration of the Parishad.

The Memorandum of Association of the Parishad.

(a) Subject to the restrictions laid down by the Governing (a) Subject to the restrictions laid down by the Governing Council or by these rules, or by or under the Parishads Association of the Parishad or regulations framed by the Governing Council, all executive business of the Carried on by the Honorary General Secretary.

Add that the field of the Parishad shall be operated दिग्वजयनाय पी०जी० कालेज by the Honer अ General Secretary.

- call for any papers from the Honorary and pass such orders on them as he may dest.
- (0) The Honora energy shall follow the directions issuedby the President in connection with the executive bushess from time to time,
- The President my delegate all or any of his powers vested in him under this rule to the Vice-President,
- In the absence of the Hony General Secretary the Secretary shall act in his behalf. The Coverning Council may add to, amend, vary or delete any

की० कालक

सोबाइटीज नशा चिट्र क प्रशासकार N 2000

of the rules.

- विश्वनवनाय पी० की० मतिय

Provided that no suo'
varied or deleted p
been passed by not
in the meeting of
purpose and of which at
given to each member.


ad to, amended to that effect has the members present specially called for that fifteen days notice has been


- Rule 19. No act of the Governing Council shall be deemed invalid because of any vacancy in the Council or any defect in procedure.
- Rule 20. All resolutions of the Governing Council certified as duly passed by its P. ident shall be deemed voted not withstanding any infect in procedure.
 - Hule 21. All notices required to be served under these rules shall be deemed to have been duly served if posted to the registered address of the addressee under a certificate of posting.

Rule 22. The Parishad shall sus and be sued in the name of the Honorary General Secretary or such other persons who may have been appoints by to Governing Council for the said purpose.

प्राचीय की कालेंग प्राचीय के कालेंग प्राचित के

Principal.





· 114	38	:		4940
-------	----	---	--	------

name of the last intion shall be big .ijs ath Bogram Callere, Cornchpur.

"To Registered Office of the Institution shall be at Dig Vijai Nath Degree College, Corakhpur.

- To impart literary, scientific, technical, commurcial, aprincitural, industrial, socal, roligious, aesthetic and an integrated all round liberal education.
- (b) To provide facilities for specialized training and extension work.
- he got up and maintain Hall and Library.
- (d) To promote ... o spirit of learning and remember.
- (a) To turn cut loyal r ' usaful citizens to merve the mother-land.
- (f) To acquire movemble or immoveable property through purchase, donations or fift from individuals or societies in the interest of the Collago.
 - (a) to adopt all other means and to do all other, acts that are conductive to the progress of the Collapsensel the statement of the shows object
- 4. HAMES, ADDIESSES AND OCCUPATIONS OF THE PIRST OFFICE INABHER AND REMBERS OF THE MARAGIES CONSITTED OF THE INSTITUTION TO THE BY RUBES AND REGULATIONS OF THE INSTITUTION THE

	MARAGREEN' OF ITS AFF	MARAGREEN' OF ICS AFFAIRS IN SAMMOTED.		
		Cocupation -	Address	
316.2-113	D. His Holing a Mahami Spi Avaid, unit (President)	Mahana	Shrl Goronhami, Tompi Sorakhpur	
his amount (hant or	Charifari im bakhan Charifarier resident)	Banker	Urdu Barner, Open hom	
	l. Br. cari L. com Schi, N. L. A. (Se return)	Social corrier	9. Civil Lines.	
。近观晚	(Fire Samels Att (Foint Secretary)	Service	Shri Gorakaata Tempi Gorakhpur	
K Kolins Granger 1 and	. Dr. Buinnes Sanner Varia (Nover)	Admonto	Potsa Bety, Gordenson	
	(Rocher)	Render in Ancient Hist.	University of Goraka; -	
17	. Dr. oder Both Laborit (Re Sor)	Medical practitioner	Bank Road, Gornbhpur	
The state of the s	. Drd.Sim (Kasber)	Lecturer in Sanskrit	University of Gorakha c	
THE WAR	. Sec 2-8, Sinka, (3 - mar)	Principal	K. P. Intermediate Col p	
1 1 1 1 20 20 at 1 20	. Fri . P. Kamana	0.0	, 6/	

प्राचार्य Janea, कार्या प्राचित्र में किंग्या में किंग्य में किंग्या में किंग्य में कि

विजयनाथ पी॰ जी॰

गोरखपुर

देग्विजयनाथ पी०जी० कालेज गोरखपुर 🖔

Industrialing

BB/A Parthyarns Hend,

Alligha Melake

Bonial. Burvion

Claux Busar, Govalchpur

(Ex-Strinia Mumbup)

Pringipal

Tenchern

Dig Vijal Nath Dagsas Gollaga, Garakhpur 1 - THE WAY TO

Id. Two touchers of the Collogs by rotation on the basis of seniority (Members) Dig Vijai Hath Dagran College, Gerakhpur

HE THE DEPOSITIONED, ARE DESTROYS OF BEING PORKED INTO A SOCIETY UNDER THE SOCIETIES REGISTRATION ACT 1866.

- Mason

3. Browningth

Service Jane Res Dance 4. Lakebal Shunkov Varan

Lakokii Shankarthura

5. Bam Brikah Singh

Raw Evilled Engl

6. Rodor Both Labiri

7. L. N. Singh

U. J.H.Sinha

UTO 195 66 1 1015

No - Later (hear or

9. Chambers him pakhan Chandra. Nom Latticus Chand

BULES AND REGULATIONS FOR THE KANADEMENT OF DIG VIJAI HATH DISTRIBE COLLEGE, CONABIDEDA,

The administration of the Gellege shall be ren by a Hannging Committee appointed by the Haharana Prater Shikeha Parishas, Gorakhpur from among its mombers. It shall sensiat of Io members including the office bourses, the Principal who shall be an ex-efficie member and the tenchers of the Colings by relation in order of contority who shall held office for a term of two years,

Provided further that the Managing Consitted shall have powers to easpt members.

TURNINATION OF A HEATHER BEAT OF THE MANAGING COMMITTER. A member shall come to act on the Managing Committee if

(I) He sins,

(2) He remigna and his resignation is nemerical by the

(3) He is declared insulvant,

विश्वनयनाथ पीछनीय कालेन

(व्यवस्था थी। बी। क्षारीच

的名物花園

- (4) He is of unsound sind,
- (5) No in monwieted by a Court of law on a ch. iscolving soral turpitude; and
- (6) In the judgment of the Managing Committee to in found to act against the interest of the Institution.

7. MENTINGS OF THE MANAGING CONSTITUTE.

- (a) The Managing Committee shall most atleast once every three months.
- (b) The President or Secretary shall have powers to converse special sectings of the Managing Committee in case of emergency.
- (c) Intimation regarding ordinary meetings shall be given to the members concerned under certificate of posting atleast soven days before the date of the scoting, provided further that 24 hours notice would be desend sufficient in case of an emergent mosting.

B. QUORUM

One third of the total strength of the Managing Committee shall fore quorum.

9. THRM

Mambors of the Managing Committee shall hold office for a torm of 4 yours.

TIO, POURES AND DUTIES OF THE MANAGING COMMITTEE.

The Committee shall have the following powers and duties - 10-3 ve at

- To frame bye-lave that my banecessary for efficient management of the Institution consistent with the provisions of the lot and Statutes and Ordinances of the Corekhpur University.
- (b) To sanction the Annual Dunget of the College.
- (c) To sanction somey for expenditure in seergent cases not provided for in the budget.
- (d) To take loans from Covernment, Semi-government bodies Banks or any other registered agency or individuals for construction of building or any other developmental project of the College.
- (e) To supervise general administration of the College,
- (f) To take constitutional and legal steps in the interest of the College.
- (g) To accept dometions, and raise subscriptions for the College and spend it in the interest of the Col or deposit it in the pune of the Col

विकाससमाय पी० बी० शासिक

CHE EUG

- (h) To fill vacancies on the Managing Committee on the bunts of magazity of votes.
- (1) To negotiate and contract and resoind any vary rll much contracts and account all such deede in the none and on bonalf of the College, considered expedient and decirable in its interest.
- (3) To appoint, promote, punish or dississ any merhar of the tonehing, ministerial or inferior staff of the College in necessance with the provisions of the Act, Statuton and Ordinances of the Corabbaur University.
- (k) To appoint sub-consistees for special purposes.
- (1) To delegate any or all of its powers to an office bearer of the Ranacing Consistee.
- (a) To authorise the Secretary or any other Office beared to them such stops on bobalf of the Managing Cossition as they does necessary in the interest of the College.
- (n) To fix unlariou or grant appoint allevances to member of the staff.
 - (c) To praction leave other than casual leave to the members of the staff.

Provided further that the Secretary shall have the powers to grant leave other than casual leave for a period of two menths subject to the approval of two Managing Committee.

(p) To alter, vary, annul, repeal or revoke any of the rules and provisions here-in-set forth or to add any new clause here-unto.

II. FORTES AND DUTIES OF THE PRESIDENT

The President shall be the principal administrative authority of the College and in addition to the powers conferred on his by the relevent provisions of the Act. Statutes and Ordinances of the Gerakhpur University, he shall have the following powers and duties -

- (I) To exercise due control over finance and other affales of the College.
- (2) To procide or meetings of the Managing Commission.
- (3) To exercise one ordinary vote and in the event of votes being equal on either able, to exercise a movement canting vote.
- (4) To give rulings on points of pressdure which whall he binding could present at the meeting.
- (5) To delegate any of his powers to any office bearer of the Namaging Committee,

IP. POWERS AUD DIFFERS OF THE VICE-PRESIDENT.

Carolin Sharka Union Commission of the sections of the localines of the lo

विक्रियास्त्रास्य हो। बी॰ साहित होत्रहारूप

iga b

प्राचार्य । वास्त्रणमाथ चां० औं० कालेज वास्त्रणमाथ चां० औं० कालेज

प्राचार्य प्राचार्य विग्वजयनाव पी०जी० कालेज

and perform all such duties and exercise all such Prosident. POWERS AND DUTIES OF

In addition to the powers conferred on relevent provisions of the Act, Statutes and Ordinanoon of the Gorakhpur University, the Secretary shall have the following powers and duties - by the

- (I) To convene mostings of the Managing Committee.
- (2) To cause the minutes of meetings of the Managing Committee to be recorded and a Minute Book to be maintulned. CASTRACT WITH ST
- (3) To sanction payment of dues and sign all bills and 为个其边来是为一个。 第一个其边来是为一个。
- (4) To make temporary arrangements for appointment to any post in the Institution subject to the provisions of Act, Statutes and Ordinances of the Gorakhpur University.
- (5) To carry on correspondence on behalf of the Institution.
- (6) To enter into contract for and on behalf of the Committee in accordance with the resolutions. In the state of
- (7) To sanction non-recurring expenses within the budget allotment. C. C.
- (8) To operate all the funds of the College except the Boys' Funds.
- (9) To prepare the annual Budget and lay it before the Managing Committee for consideration and approval.
- (IO) To institute and defend suits for all against the institution under instructions of the Managing Committee.
- (II) To porform such other functions as the Managing Committee may direct from time to time.
- (12) To apply for, and receive all leans on behalf of the Managing Committee and exoute bonds and deeds in that rospoot.
- (I3) To grant casual leave to the Principal

14. POWERS AND DUPLES OF THE JOINT SECRETARY

The Joint Secretary shall exercise all the powers and perform all the duties of the Secretary in his absence.

IS. POWERS AND DUTIES OF THE PRINCIPAL

The Principal shall be the chief academic and executive Officer of the Institution and in addition to the powers conferred on him by the Act statutes and Ordinances of the Goraldpur University, he minil hav powors and dutios -

To supervise tutional work and to many

गोरखपुर

द्मिग्यजयनाथ पी०जी० कार् बोरखपुर 🌣

ten College.

(2) To enforce the relevent provisions of the ant, mainten and Ordinances of the Gorakhpur University in respect of courses proportied by the University.

(3) To mosign duties and fix working hours for the tenching, ministerial and inferior staff of the College.

To check the monthlyweocunte of receipts and expenditure and affix his signatures thereon.

(5) To be incharge of Auxiliary (Doys) Funds of the College and to operate such funds.

(6) To maintain the service books and character rolls of all the exployees of the College and to recommend disciplinary action to be taken against them on grounds of windendest.

(7) To form out-committees and assign duties other than tenching to members of the staff in the interest of officient administration of the College.

SHAL OF THE COLLEGE

The Colloge shall have a seal which will bear the words 'DIG VIJAINATH DEGREE COLLEGE, GORAKEPUR'. All instruments, deeds and documents shall be in the name of the said College and duly executed by the Secretary affixing the seal of the College thereon.

दिग्वजयनाय पी०जी० कालेज **मोरखपुर**

विण्विवयनाय पी० जी० क्रावेख

विचित्रजयनाय पी० जीशु कालेग

कोरखपुर

College Code of Conduct


THE DIGVIJAI NATH VISION (Asta Dharma)

Fundamental Code of Conduct

We as members of Digvijai Nath P.G. College, Gorakhpur are committed to display through our behavior and actions the following CONDUCT which applies to all aspects of our business.

(I)	CONDUCT	Which is of the highest ethical, intellectual, financial and moral standards and reflects the highest levels of Courtesy and Consideration to others.
(II)	CONDUCT	Which builds and maintains Team Work, with mutual trust as the basis of all working relationships.
(III)	CONDUCT	Which puts the students first, the college second and the self last.
(IV)	CONDUCT	Which exemplifies care for students through anticipation of need, attention to detail, excellence, aesthetics and style and respect for privacy along with warmth and concern.
(V)	CONDUCT	Which demonstrates two-way communication accepting constructive debate and dissent whilst acting fearlessly with conviction.
(VI)	CONDUCT	Which demonstrates that students are our key asset, through respect for every employee, and leading from the front regarding performance, achievements as well as individual development.
(VII)	CONDUCT	Which at all times safeguards the safety, health and environment of students, employees and the assets of the college.
(VIII)	CONDUCT	Which eschews the short-term quick-fix for the long- term establishment of healthy precedent.

College Brochure



दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर प्रबन्ध-समिति

1. डॉ. भोलेन्द्र सिंह - अध्यक्ष

2. प्रो. यू.पी. सिंह - उपाध्यक्ष

3. महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज - मंत्री/प्रबन्धक

4. श्री योगी कमलनाथ - संयुक्त मंत्री

5. श्री योगी त्यागीनाथ - सदस्य

6. श्री मिथिलेश नाथ - सदस्य

7. श्री धर्मेन्द्र नाथ वर्मा - सदस्य

श्री प्रमोद कुमार चौधरी - सदस्य

9. श्री धर्मेन्द्र सिंह - सदस्य

10. श्री ज्योति मस्करा - सदस्य

11. श्री द्वारिका तिवारी - सदस्य

12. प्राचार्य - पदेन सदस्य

13. शिक्षक प्रतिनिधि - पदेन सदस्य

14. शिक्षणेतर कर्मचारी प्रतिनिधि - पदेन सदस्य



ක්ෂමක් ක්ෂමක්

रुमारे आदर्श महाराणा प्रताप



मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम के पुण्यवचन जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिष गरीससी अर्थात् 'माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी गरिमामय होते हैं' को अपना आदर्श मानते हुए स्वेदश, स्वधर्म और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले परमवीर महाराणा प्रताप का परमोज्ज्वल चरित्र ही हमारा अभीष्ट है। अर्ब्युरहीम खानखाना की प्रसिद्ध पंक्तियाँ 'जो दृढ़ राखै धर्म को तिहिं राखै करतार' इन्हीं प्रतापी महाराणा को ध्यान में रखकर स्जित हुई थीं। ये दोनों ही पंक्तियाँ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की विशिष्टता का परिचायक और प्रतीक हैं। इस मातृसंस्था द्वारा दिग्वजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना इन्हीं बोधवाक्यों के आलोक में, इस स्पष्ट उद्देश्य के साथ की गयी कि यहाँ अध्ययन करने वाला युवा समसामयिक ज्ञान-विज्ञान तथा मानवीय गुणों का सृजन करने वाले, कला-साहित्य के अध्ययन के साथ ही आत्मनिष्ठ और राष्ट्रनिष्ठ सुयोग्य नागरिक बनें।

दिग्विजयनाथ रनातकोत्तर महाविद्यालय, गोरखपुर

भारत के स्वाधीनता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक का युग समाप्त होते-होते कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिह्न लगने लगा था। 1920 ई. के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन ने अलग राह पकड़ी और 1930-31 ई. तक आते-आते कांग्रेस के स्पष्ट सहयोग के अभाव में क्रान्तिकारियों का दमन करने में ब्रिटिश हुकुमत सफल रही। यद्यपि इस समय तक अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजियत में रमे बाबुओं की फौज खड़ी करने की शिक्षा नीति का प्रभाव भी दिखने लगा था। देश के नायकों के समक्ष एक चुनौती थी कि भारत की नयी पीढ़ी को भारतीयता के साँचे में कैसे ढालें। अपनी संस्कृति एवं स्वदेशी दृष्टि की शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति ही इस चुनौती का एक मात्र समाधान था। इस चुनौती को भारतीय मनीषियों ने स्वीकार भी किया। महामना मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयासों से फरवरी 1916 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का लोकार्पण हुआ। भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेत् स्थापित यह विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मानक स्थापित कर आगे बढा। इसी धारा को तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी ने आगे बढ़ाते हुए सन् 1932 ई. में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की नींव रखी। ब्रिटिश शासन को शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय मनीषियों द्वारा यह कड़ी चुनौती थी कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ है। भारत अपना तंत्र, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति और अपने मुल्यों की पुन: स्थापना अपनी योजनानुसार करेगा। यह दुरदृष्टि थी कि देश जब आजाद होगा तब तक देश की व्यवस्था चलाने हेतु भारतीय पद्धति के शिक्षा संस्थानों से निकले युवा तैयार मिलेंगे।

देश पराधीन था, जनता विपन्न थी, ज्ञान-कौशल के अभाव में स्वाभिमान और राष्ट्रीय नविनर्माण की चेतना का जागरण दुष्कर था। महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज अपनी संकल्प-शक्ति के बल पर आजादी की लड़ाई के एक प्रमुख शस्त्र के रूप में शैक्षिक क्रान्ति के पथ पर भी आगे बढ़े। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अन्तर्गत 1932 ई. में गोरखपुर नगर के बक्शीपुर में किराये के एक मकान में 'महाराणा प्रताप क्षत्रिय स्कूल' प्रारम्भ हुआ। 1935 ई. में इसे जूनियर हाईस्कूल की मान्यता मिल गयी और 1936 ई. में यहाँ हाईस्कूल की पढ़ाई प्रारम्भ की गयी तथा इसका नाम 'महाराणा प्रताप हाई स्कूल' हो गया। इसी बीच महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के अथक प्रयास से गोरखपुर के अध्वार अध्

ద్దిలక్ నియిక్ నియెక్ सिविल लाइन्स में पाँच एकड़ भूमि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को प्राप्त हो गयी और महाराणा प्रताप हाईस्कृल का केन्द्र सिविल लाइन्स हो गया तथा देश के आजाद होते समय

यह विद्यालय महाराणा प्रताप में प्रतिष्ठित हुआ।

1949-50 ई. में. इसी
डिग्री कॉलेज की स्थापना
उ.प्र. की अग्रणी शैक्षिक संस्था
परिषद, गोरखपुर महाराणा
अगला पड़ाव था। अगस्त
महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज
सहित गोरखपुर विश्वविद्यालय

परिसर में महाराणा प्रताप 1932 ई. में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा प्रताप शिक्षा परिषद का

इण्टरमीडिएट कालेज के रूप

1958 ई. में महन्त जी ने को अपनी परिसम्पत्तियों

की स्थापना हेतु उदारतापूर्वक

समर्पित किया और विश्वविद्यालय की स्थापना के आधार स्तम्भ बने।

वर्तमान गोरखपुर विश्वविद्यालय का वाणिज्य संकाय आज भी उसी महाराणा प्रताप डिग्री कालेज भवन में चल रहा है तथा विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण विभाग भी यहाँ स्थित हैं। तत्पश्चात् महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम से वर्तमान दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की, सम्प्रति यह विश्वविद्यालय परिसर से सटे महानगर का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय की स्थापना 25 अगस्त 1969 को दिग्विजयनाथ डिग्री कॉलेज के रूप में हुई थी। इस संस्था को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और शैक्षिक पुनर्जागरण के अग्रदृत युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के कर-कमलों द्वारा काल के वक्ष पर स्थापित अप्रतिम कीर्ति स्तम्भ होने का गौरव प्राप्त है।

यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर महानगर के हृदयस्थल गोलघर, सिविल लाइन्स क्षेत्र में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किमी. की दूरी पर स्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी दो परिसरों दो परिसरों में विभक्त यह महाविद्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय परिसरों तथा दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसरों से संलग्न है। अपने संस्थापक युगपुरुष ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रखर चेतना एवं सेवा-समर्पण की भावना से लोकहित में तत्पर उदारमना राष्ट्रसंत महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में नये शिखर को प्राप्त किया था तथा वर्तमान गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में संचालित यह महाविद्यालय अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन और स्वच्छता सभी दृष्टियों अख्य अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन और स्वच्छता सभी दृष्टियों अख्य अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन और स्वच्छता सभी दृष्टियों

से न केवल इस नगर में अपितु दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अग्रणी स्थान रखता है। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके कार्य व क्षमता के अनुरूप गुणवत्ता का प्रमाणन करने वाली सरकार की स्वायत्तराासी संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बंगलूरू (NAAC) द्वारा प्रत्यायन 'बी' श्रेणी (सी.जी.पी.ए, 2.78) तथा उ.प्र. शासन द्वारा 'अ' श्रेणी प्राप्त है।

यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर महानगर के हृदयस्थल गोलघर, सिविल लाइन्स क्षेत्र में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किमी. की दूरी पर स्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी दो परिसरों दो परिसरों में विभक्त यह महाविद्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, न्यायालय परिसरों तथा दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसरों से संलग्न है। अपने संस्थापक युगपुरुष ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रखर चेतना एवं सेवा-समर्पण की भावना से लोकहित में तत्पर उदारमना राष्ट्रसंत महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में



नये शिखर को प्राप्त किया था तथा वर्तमान गोरक्षपीठाध शिवर महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में संचालित यह महा विद्या लय अध्ययन-अध्यापन, अनुशासन और स्वच्छता सभी दृष्टियों से न केवल



इस नगर में अपितु दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में अग्रणी स्थान रखता है। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके कार्य व क्षमता को अनुरूप गुणवत्ता का प्रमाणन करने बाली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था राष्ट्रीय मृल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बंगलूरू (NAAC) द्वारा प्रत्यायित-'बी' श्रेणी (सी.जी.पी. ए. 2.78) तथा उ.प्र. शासन द्वारा 'अ' श्रेणी प्राप्त है।



න්ණිස් නිණිස් නිණිස් නිණිස් නිණිස් නිණිස් නිණිස් නිණිස් නිණිස්

सामान्य सूचनाठुँ

- अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इस विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर और तदनुसार प्रवेश आवेदन-पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अनुसार आचरण करना अनिवार्य है।
- किसी भी कक्षा में प्रवेश के समय उसके पूर्व कक्षा की स्थायी अंकतालिका ही स्वीकार्य की जायेगी।
- 3. सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के शुल्क-पटल पर स्वीकार किये जाते हैं, जिनके लिए छपी हुई अथवा कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाती है। बिना रसीद के कोई धन न जमा करें और न ही अनिधकृत व्यक्ति को महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई शुल्क दें अन्यथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 4. महाविद्यालय में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में तीन विषयों का अध्ययन करना है, किन्तु तृतीय वर्ष में चुने गये विषयों में से केवल दो का ही अध्ययन करना होगा।
- 5. एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु भरा गया अथवा पंजीकृत आवेदन पत्र किसी भी दशा में अन्य संकाय/विभाग में प्रयोग या स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक साथ कई संकायों/विभागों में प्रवेश हेतु आवदेन करना चाहता है तो उसे अलग-अलग संकायों/विभागों में अलग-अलग आवेदन पत्र भरना तथा पंजीकृत कराना होगा।
- प्रत्येक संकाय के विद्यार्थियों के लिए संस्था द्वारा निर्धारित पहनावा (यूनीफार्म) अनिवार्य है।
- किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए लिया गया शुल्क न तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा।
- इस विवरणिका तथा नियमावली में आकस्मिक संशोधन तथा परिवर्तन का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।

සමෙස් සමෙස් සමෙස් සමේ 6 මස් සමෙස් සමෙස් සමෙස් සමෙස්

महाविद्यालय को संकाय पुर्व अनुमन्य विषय संयुवितयाँ

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष निर्धारित स्थान (सीट) के अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

(क) स्नातक कला (बी.ए.) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

बी.ए. प्रथम वर्ष सत्र 2018-19 के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित विषय अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा।

संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, रक्षा एवं स्वातजिक अध्ययन तथा शारीरिक शिक्षा।

(ख) स्नातक विज्ञान (बी.एससी.) त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान अथवा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन। (अनुदानित)

कम्प्यूटर साइंस, भौतिकशास्त्र एवं गणित (स्विवत्तपोषित) (बी.एससी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाला अध्यर्थी उपरिलिखित दो विषय समूहों में से किसी एक विषय समूह का चयन कर सकता है)

(ग) स्नातक वाणिज्य (बी.कॉम.) स्ववित्तपोषित

(घ) स्नातकोत्तर कला (एम.ए.)

प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति (अनुदानित)। हिन्दी, भूगोल, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा रक्षा एवं स्वातजिक अध्ययन (स्ववित्तपोषित)

(ड-) स्नातकोत्तर विज्ञान (एम.एससी.)

रसायन विज्ञान (स्ववित्तपोषित)

(च) स्नातकोत्तर वाणिज्य (एम.कॉम.) स्ववित्तपोषित

(छ) शिक्षा संकाय (बी.एड.)

बी.एड. में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा। प्रवेशार्थियों को चाहिए कि महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व निम्नलिखित नियमों का भली प्रकार अध्ययन कर लें-

महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ₹ 250.00 नकद जमा करके महाविद्यालय काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। अलग-अलग कक्षाओं के लिए \$200\$ \$200\$ \$200\$ \$200\$ \$200\$ \$200\$ \$200\$ 조용을 조용을 조용을 조용을 조용을 경우 7 ාම 중 조용을 조용을 조용을 조용을 조용을 अलग-अलग आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात् कोई भी अधिमान या अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. बी.ए., बी.एससी. तथा बी.कॉम. भाग दो एवं तीन तथा एम.ए. भाग दो में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ₹ 100.00 नकद जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सूचना यथासमय महाविद्यालय के सूचना पट तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।

एम.ए., एम.एससी. तथा एम.कॉम. भाग एक के आवेदन पत्र, बी.ए. बी.एससी. तथा बी. कॉम. भाग तीन 2018 के परीक्षा-परिणाम आने के पश्चात् वितरित तथा स्वीकार किये जायेगें।

आवेदन पत्र महाविद्यालय में निर्धारित पटल पर ₹ 50.00 पंजीयन शुल्क के साथ स्वीकार किये जायेंगे। डाक या कोरियर द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। स्नातक भाग दो एवं तीन तथा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र सम्बंधित योग्यता प्रदायी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के एक माह के भीतर लेना आवश्यक है अन्यथा अर्थदण्ड के साथ ही प्रवेश होगा।

- 4. आवदेन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है -
 - हाईस्कूल से लेकर अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्रों की छायाप्रति।
 - (ii) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (iii) अन्तिम संस्था, जिसमें अभ्यर्थी ने शिक्षा पायी हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (iv) अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति/स्वतंत्रता सेनानी आदि का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण-पत्र (जिसके लिए लागू हो) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (v) अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) जैसे-क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी. सी., स्काउटिंग, रोवर्स रेंजर्स आदि का प्रमाण-पत्र (जिसके लिए लागू हो) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।

विशेष : अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- ক্রভেঙ্ক ক্রভিড্ক ক্রভিড্ক ক্রভিড্ক ক্রভিড্ক ক্রভিড্ক ক্রভিড্ক ক্রভেঙ্ক ক্রভিড্ক ক্রভিড্ক
- 6. योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् अन्तराल की दशा में एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत, दो वर्षों के अन्तराल पर 7 प्रतिशत तथा तीन वर्षों के अन्तराल पर 10 प्रतिशत अंकों की प्राप्तांक से कटौती कर मेरिट का निर्धारिण किया जायेगा। जिन्होंने 2016 पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे प्रवेश के लिए आवेदन न करें। अन्तराल के लिए स्पष्टीकरण देते हुए नोटरी शपथ-पत्र देना होगा।
- महाविद्यालय में सभी सम्बन्धित कक्षाओं में प्रवेश के लिए अधिमान/ अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के प्रतिशत को अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर उत्कृष्टता सूची (मेरिट) घोषित होगी।
 - (i) इस महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थी को एम.ए. प्रथम वर्ष के लिए - 3 प्रतिशत
 - (ii) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित विद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थी के लिए - 2 प्रतिशत
 - (iii) राष्ट्रीय सेवा योजना : (अ)दो कैम्प तथा 240 घंटा कार्य - 3 प्रतिशत
 - (ब) एक कैम्प तथा 240 घंटा कार्य 2 प्रतिशत
 - (iv)
 एन.सी.सी. :

 (अ)''सी''
 सर्टिफिकेट

 3 प्रतिशत
 - (ब) "बी" सर्टिफिकेट 2 प्रतिशत
 - (v) स्काउटिंग/रोवर्स रेंजर्स :
 - (अ) राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त 3 प्रतिशत (ब) तृतीय सोपान/निपुण - 2 प्रतिशत
- (स) द्वितीय सोपान/प्रवीण । प्रातशाव प्रकार प्रकार

నిత్రావ నిత్తున్న సహాషా అంది ప్రాంతి ప్ర

10 प्रतिशत

टिप्पणी: किसी भी अभ्यर्थी को कुल दो अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) से अधिक एक साथ नहीं मिलेगा लेकिन यह अधिकतम 5 प्रतिशत होगा। केवल 6 (vi) के लिए यह सीमा 10% होगी।

- शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में आरक्षण व्यवस्था यथापूर्व लागृ रहेगी।
- (स) अधिसंख्य आरक्षण :
- (i) महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के पाल्यों के लिए स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल निर्धारित सीटों का क्रमश: 5 प्रतिशत
- (ii) राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर/अन्तर्महाविद्यालय के खिलाड़ी 3, 2 और 1 प्रतिशत। टिप्पणी : नीचे दी गयी तालिका में प्रमाण-पत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय काउंसिलिंग में प्रस्तुत करना होगा।

	प्रमाण-पत्र	सक्षम अधिकारी
(왕)	जाति प्रमाण-पत्र 1. अनुसूचित जाति/जन्मजाति 2. अन्य पिछड्। वर्ग	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
(व)	विकलांगता प्रमाण-पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
(刊)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र	जिलाधिकारी <u> </u>
(द)	प्रतिरक्षा प्रमाण-पत्र	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(य)	कश्मीर के विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी
(₹)	विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
(ल)	सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(व)	महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य

සමෙස් සමාස් සමාස් සමාස් සමා 10 මාස් සමාස් සමාස් සමාස් සමාස්

- 9. » प्रत्येक वर्ग में मेरिट के आधार पर प्रवेश योग्य चयनित गये अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय के सूचना पट एवं बेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जायेगी जिसे देखकर अवगत होना अभ्यर्थी का कर्त्तव्य है। प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। महाविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
 - प्रवेश योग्य घोषित अभ्यर्थी के लिए निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।
 - अवश्यक है।
 - जिर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित न होने पर अथवा उपस्थित होने के बावजूद अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अध्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे साक्षात्कार का दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।
- 10. साक्षात्कार के पश्चात् अन्तिम रूप में चयनित अभ्यर्थी यदि तत्काल या दी गयी तिथि पर निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो प्रवेश के लिए उसका चयन स्वत: निरस्त माना जायेगा।
- 11. प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं उनके द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। महाविद्यालय बिना कारण बताए किसी भी कक्षा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। कोई भी अभ्यर्थी अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की माँग नहीं कर सकता, चाहे वह प्रवेश के लिए सभी प्रकार से योग्य ही क्यों न हों।
- 12. कोई भी संस्थागत विद्यार्थी संबंधित सत्र में 30 जून तक ही प्रमाणित (बोनाफाइड) विद्यार्थी माना जायेगा।

ක්ෂුව ක්ෂුවක් ක්ෂුවක් ක්ෂුවක් ක්ෂුවක් ක්ෂුවක් ක්ෂුවක් ක්ෂුවක් ක්ෂුවක්

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम (वार्षिक शुल्क)

विवरण		बी.एस-सी. (गणित-वर्ग) भाग-1, II, III	A CANADA	एम.ए. भाग- 1, II	एम.कॉम. -1, II,	एम.एससी -1, II,
शुल्क (₹)	10500.00	11000,00	8500,00	8000,00	10000,00	24000.00

- विशेष -

परारनातक कक्षाओं में विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क परीक्षा फार्म भरते समय अलग से देय होगा |

- कॉलंज छोड़ने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर प्रतिभाव्य राशि (कॉशनमनी) वापस की जाएगी। इस अविध के पश्चात् यह संस्था के पक्ष में स्वीकृत मान ली जाएगी।)
- बी.ए,/बी.एससी./बी.कॉम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए. ऑतम वर्ष में प्रवेशार्थियों को कॉशनमनी नहीं देनी होगी।
- स्विवत्तपोषित पाट्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिभाव्य राशि को वापस करने का विधान नहीं है।
- उ.प्र. सरकार, शिक्षा निदेशक अथवा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आवश्यक होने
 पर बाद में भी शुल्क तालिका में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है,
 जो सर्व सम्बन्धित के लिए देय होगा।

-: संस्था का आदर्श वाक्य :-

''न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते'' अर्थात् इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र (संस्कारित या शुद्ध) करने वाला अन्य दूसरा कुछ भी नहीं है।

- श्रीमद्भगवद्गीता

ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස් ත්මෙස්

शुल्क विवरण (वित्तपोषित पाठ्यकम)

क्र. सं.	विवरण	बी.ए. भाग-1, 2, 3	बी.एस-सी. भाग-1, 2, 3	एम.ए. भाग-1, 2, 3	बी,एड
01.	शिक्षण शुल्क	132.00	132.00	180.00	
02,	प्रवेश शुल्क	5.00	5.00	5.00	
03.	पंजीकरण शुल्क	1.00	1.00	1.00	F
04,	महँगाई शुल्क	42.00	42.00	42.00	मुल्क क्र 1000.00 लिया जायेगा
05.	विद्युत शुल्क	125.00	125.00	125.00	5
06,	प्रयोगात्मक शुल्क (जिन पर लागू हो)	240.00	720.00		垂
07.	पुस्तकालय शुल्क	100.00	100.00	100.00	00
08,	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00	50.00	00.
09.	स्वास्थ्य शुल्क	50.00	50.00	50.00	10
10.	पत्रिका शुल्क	100.00	100.00	100.00	038
11,	श्रव्य दृश्य शुल्क (डिजिटल माध्यम)	75.00	75.00	75.00	15
12,	परिचय पत्र शुल्क	100.00	100.00	100.00	2
13,	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	125.00	125.00	125.00	
14,	क्रीड़ा / योग प्रशिक्षण शुल्क	150.00	150.00	150.00	अतिरिक्त आहिट
15.	छात्रसंघ मुल्क	50.00	50.00	50.00	T.
16.	छात्रसंघ चुनाव शुल्क	35.00	35.00	35.00	The sa
17.	साइकिल स्टैण्ड शुल्क	100.00	100.00	100.00	E.
18,	विभागीय परिषद शुल्क	25.00	25.00	25.00	16
19.	कॉशनमनी शुल्क	150.00	150.00	150.00	
20.	विकास शुल्क	100.00	100.00	100.00	श्राल्क
21,	छात्र सहायता कोष	40.00	40.00	40.00	
22,	परीक्षा शुल्क	1350.00	1350.00	1450.00	द्वारा भिथांरित
23.	अंकपत्र शुल्क	100.00	100.00	100.00	Œ
24.	उपाधि शुल्क (केवल अन्तिम वर्षे हेतु)	300.00	300.00	300.00	द्वारा
25.	वि.वि.ना. शुल्क (जिन पर लागू हो)	150.00	150.00	150.00	
26.	राष्ट्र गौरव शुल्क (केवल स्नातक प्रथम वर्ष हेतु)	50.00	50.00		शासन विश्वविद्यालय
27.	राष्ट्र गौरव परीक्षा शुल्क	15.00	15.00		dis
28.	रोवसं रेजसं शुल्क	24.00	24.00	***************************************	F
29.	वैकल्पिक ऊर्जा शुल्क	316.00	336.00	297.00	PITTER
30.	विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा शुल्क	100.00	100.00	100.00	"
	योग	4200,00	4700,00	4000.00	25

इंडर्ड डेडर्ड डेडर्ड डेडर्ड डेडर्ड डेडर्ड डेडर्ड डेडर्ड डेडर्ड रेमेडियल कोचिंग कक्षायें -

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड्। वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड्कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विशेष कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था है। इसकी सूचना यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के शैक्षिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) एवं राज्य पात्रता परीक्षा (SET) की कोचिंग की व्यवस्था है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात छात्र/छात्रायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति के लिए अहं हुआ जाता है। इसकी सूचना भी यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

यू.जी.सी. नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों में कम्प्यूटर के उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रशासन, वित्त, परीक्षा, शिक्षण, शोध आदि विषयक कार्यों में इसका उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गयी है, जिससे महाविद्यालय सूचना एवं संचार नेटवर्क में संसाध न सम्पन्न हो सके। महाविद्यालय में कम्प्यूटर साइंस विभाग द्वारा समय-समय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

ईक्वल अपार्च्युनिटी सेन्टर

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों तथा शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के हितों के संरक्षण हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में 'ईक्वल अपार्च्यूनिटी सेन्टर' की स्थापना की गयी है। प्राचार्य की अध्यक्षता में 'ईक्वल अपार्च्यूनिटी सलाहकार समिति' भी गठित है।

ठळाड ठळाड ठळाड ठळाड ठळा 14 छड ठळाड ठळाड ठळाड ठळाड स्वास्थ्य केन्द्र एवं डे केयर सेन्टर

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा जनसामान्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण हेतु 'ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ प्राथमिक उपचार केन्द्र' की स्थापना की गयी है। सुयोग्य चिकित्सक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं बुधवार) प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्वी परिसर में उपस्थित रहते हैं। इसी क्रम में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन भी नियमित रूप से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधन से 'डे केयर सेन्टर' भी स्थापित है।

इंग्लिश स्यीकिंग सेंटर

अंग्रेजी भाषा के बोलचाल में दक्षता बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में ''इंग्लिश स्पीकिंग सेन्टर'' की कक्षायें आवश्यकतानुसार संचालित की जाती हैं। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि इसका लाभ अवश्य उठायें। इसकी सूचना यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जाती है।

योग प्रशिक्षण

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य और चरित्र की शिक्षा देने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षक एवं आचार्य की देखरेख में योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसमें छात्र/छात्राओं को अलग-अलग निर्धारित समय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें रुचि रखने वाले विद्यार्थी महाविद्यालय योग प्रशिक्षण केन्द्र के संयोजक से विशेष जानकारी प्राप्त करें।

व्यायामशाला (जिमनेजियम) एवं खेलकृद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुदानित महाविद्यालय के पश्चिमी परिसर में एक व्यायामशाला है जो आधुनिक उपकरणों से सुसन्जित है। प्रत्येक कार्य दिवस पर व्यायामशाला प्रात: 6:00 बजे से 8:00 बजे तक खुली रहती है। व्यायाम में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों एवं विद्यालय परिवार के सदस्यों से इसका लाभ उठाने की अपेक्षा की जाती है।

प्रकार तकार तकार तकार तका 15 का तकार तकार तकार तकार चेलकृत

महाविद्यालय में टेब्न्ल टेनिस, वालीबॉल, बैडमिंटन तथा क्रिकेट आदि खेलों की समुचित व्यवस्था है। खेलकृद में विशेष कौशल प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय की ओर से प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के लिए और भी कई प्रकार की प्रोत्साहनपरक सुविधाएँ भी उपलब्ध है। जिनकी जानकारी क्रीड़ाप्रभारी से प्राप्त की जा सकती है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय के साथ इन्टरनेट एवं वाई-फाई की भी व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय नियमावली के अनुसार पुस्तकें प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे नियम एवं आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए पुस्तकालय एवं इन्टरनेट का लाभ अवश्य उठायें।

छात्र-संसद

छात्रों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने तथा महाविद्यालयी क्रिया-कलापों के संचालन में छात्रों की सिक्रय भूमिका सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कक्षाओं के श्रेष्ठतम विद्यार्थियों तथा क्रीड़ा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स रेंजर्स में विशेष दक्षता प्राप्त विद्यार्थियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

अनुशासनिक नियम पुर्व आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निराकरण एवं परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए नियन्ता मण्डल का गठन किया गया है जो सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों के कल्याण एवं उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। यहाँ का प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य होता है। इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्रिया कलापों एवं आचरण के प्रति सचेध्ट रहकर महाविद्यालय के सम्मान व शैक्षिक गरिमा को बनाये रखने में तत्पर रहे।

गणवेश (यूनीफार्म) से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश

 सभी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय परिसर में एक निश्चित ड्रेस (गणवेश) लागू है।

පණස සඟස සඟස් සඟස් සඟ 16 ශිස් සඟස් සඟස් සඟස් සිඟස්

- प्रवेश के पश्चात् सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित ड्रेस के प्रारूप को देखकर एक सप्ताह के भीतर अपना ड्रेस बनवा लें।
- यूनीफार्म छात्रों के लिए इल्के बादामी रंग का फुल शर्ट, कोका कोला रंग की फुल पैन्ट तथा चमड़े का काला जूता।
- 4. यूनीफार्म छात्राओं के लिए कोका कोला रंग का कुर्ता (छोटे कॉलर का), हल्का बादामी रंग का सलवार, हल्का बादामी रंग का दुपट्टा व काला जूता या सैण्डिल। शीतकाल में उपुर्यक्त यूनीफार्म के साथ मैरून रंग का स्वेटर/ब्लेजर पहनना होगा।

परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। विद्यार्थी को चाहिए कि प्रवेश के पश्चात् वह तत्काल परिचय पत्र बनवा लें तथा अनिवार्य रूप से महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।

मूल परिचय पत्र खों जाने पर लेखा विभाग में ₹ 50.00 नकद शुल्क जमा करके परिचय पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए विद्यार्थी को अपने मूल परिचय पत्र की संख्या का उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र मुख्य नियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक परिचय पत्र जारी किये जाने की तिथि से सत्रांत तक वैध होगा। सत्रांत के बाद परिचय पत्र स्वत: निरस्त माना जायेगा।

विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विभाग तथा नियन्ता कार्यालय के सूचना पट को नित्यप्रति देखा करें ताकि महाविद्यालय की सूचनाओं से अवगत हो सकें।

उपस्थिति

उत्तर प्रदेश शासन तथा दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थित आवश्यक है। इससे कम होने पर उनका परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा एवं उन्हें परीक्षा से विचित किया जायेगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी संबंधि त विषयों में निर्धारित प्रतिशत तक अवश्य उपस्थित रहे।

දුමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස්

छात्रावास की सुविधा

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की सहायता से महाविद्यालय परिसर में 'दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज महिला छात्रावास' में महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। छात्रावास में कमरों के आवंटन हेतु छात्राओं की आवश्यकता, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके पैतृक स्थान से दूरी के आधार पर वरीयता दी जाती है। छात्राएँ छात्रावास के लिए प्रवेश फॉर्म एवं नियमावली दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट महिला छात्रावास के अधीक्षक से महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शुल्क की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकती हैं।
- महाविद्यालय के छात्रों के लिए उपलब्धता के आधार पर छात्रावास की व्यवस्था 'प्रताप आश्रम' गोलघर में है। इस छात्रावास का संचालन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा होता है और इसमें प्रवेश देने का सर्वाधिकार महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को ही है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के लिए चार तथा छात्राओं के लिए एक इकाई संचालित है जिसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों जैसे-जन साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, समाज सेवा, शारीरिक श्रम के प्रति गौरव भाव, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनजागरण आदि रचनात्मक कार्यों का संचालन किया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्धारित कार्यविधि पूर्ण कर लेने पर विद्यार्थियों को अन्य कक्षाओं में प्रवेश तथा राजकीय सेवाओं में वरीयता प्रदान की जाती है विद्यार्थियों को चाहिए कि 30 सितम्बर 2018 तक कार्यक्रम अधिकारीगण से सम्पर्क कर सदस्यता फार्म प्राप्त कर उसे पूरित करके सदस्यता सुनिश्चित कर

रोवर्स-रेंजर्स

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए रोवर्स-रेंजर्स की सुविधा विपलब्ध है। इसमें प्रशिक्षित सदस्यों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश एवं राजकीय सेवाओं में विरीयता प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र रोवर्स की सदस्यता हेतु प्रभारी एवं रेंजर्स की सदस्यता हेतु संयोजक से सम्पर्क करें।

ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස් ක්ශාස්

शिकायत (Grievance) एवं परामर्श प्रकोच्छ

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण के लिए ग्रीवान्स एवं परामर्श प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। विद्यार्थीगण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इसके संयोजक से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं को अध्ययन के उपरान्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट सेल गठित है। इच्छुक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं।

पूर्व छात्र परिषद (Alumni Association)

महाविद्यालय में पूर्व एवं वर्तमान छात्रों के बीच आपसी सम्बन्ध तथा अनुभव के आदान-प्रदान एवं महाविद्यालय की प्रगित के संबंध में सुझाव देने हेतु इस परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद में महाविद्यालय के निवर्तमान प्राध्यापक/कर्मचारी/स्नातकोत्तर एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र-छात्रायें सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता हेतु समन्वयक से सम्पर्क करें। (वार्षिक सदस्यता शुल्क ₹ 1000.00)

शिक्षक-अभिभावक संघ

महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि अभिभावकगण अपने पाल्यों की शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी कमी या अपने सुझाव से प्रभारी को अवगत करा सकें। इसके लिए वर्ष में दो बार सामान्य बैठक निर्धारित की गयी है।

एंटी रैगिंग समिति

महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार का परस्पर उत्पीड़न पूर्णत: निषिद्ध है। महाविद्यालय के किसी छात्र/छात्रा के प्रति मारपीट, अशिष्ट व्यवहार, प्रताड़ना, अभद्र टिप्पणी, गाली-गलौज, जाति सूचक टिप्पणी आदि में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संलिप्त पाये जाने पर दोषी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

छात्रसंघ का गठन

महाविद्यालय में छात्रसंघ का गठन लिंगदोह कमेटी की संस्तुति के अनुरूप शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा।

පුලාස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් පිමෙස් महाविद्यालय पत्रिका 'अरावली'

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिए महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका 'अरावली' का प्रकाशन होता है इसलिए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सम्पादक मण्डल के निर्देश से इस सुविधा का उपयोग अपने अन्दर छिपी रचनात्मक प्रतिभा को अभिव्यक्ति के लिए करें।

छात्रवृत्तियाँ

- शासनादेश के अनुरूप राज्य सरकार से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति,
 अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को जो इस सीमा के अन्तर्गत आते हैं, छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं।
- 2. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से महाविद्यालय में अध्ययनरत बी.ए., बी.एससी. तथा बी.कॉम. भाग-1, 2 तथा 3 में एवं एम.ए. पूर्वाई एवं उत्तराई में योग्यता के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- 3. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में अध्ययनरत तथा शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के क्षेत्र में अपनी बहुमुखी योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर (एम.ए.) के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
- 4. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत तथा शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रिया कलापों के क्षेत्र में अपनी बहुआयामी योग्यता के आधार पर स्नातक (बी.ए., बी.कॉम., बी.एस-सी.) के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को राष्ट्रसंत महन्त अवेद्यनाथ स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
- 5. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनस्त स्नातकोत्तर (एम.ए.) अन्तिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी की स्व. कृष्णा कुमारी चौधरी स्मृति पुरस्कार (₹ 2100.00) प्रयान किया जाता है।
- ६ महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत स्नातक (बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम.) अन्तिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को स्व. राम लखन चौधरी स्मृति पुरस्कार (₹ 2100.00) प्रदान किया जाता है।

- ක්ෂමක් ක්ෂමක්
- 7. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचात्तित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत संस्थापक सप्ताह समारोह के अन्तर्गत आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ विजेता प्रतियोगी को पं. सरवन मिश्र स्मृति पुरस्कार (₹ 12000.00) प्रदान किया जाता है।
- 8. क्रीड्रा के क्षेत्र में मण्डल, राज्य एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा परिषद तथा महाविद्यालय द्वारा विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्र सहायता

- प्रतिभावान, जरूरतमंद तथा निर्धन विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। निर्धनता के आधार पर सहायतार्थ आवेदन करने वाले को आय प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।
- छात्र सहायता के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी संयोजक, छात्र कल्याण समिति द्वारा यथासमय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

उत्सव/सभाएँ एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप

महाविद्यालय में मुख्य रूप से निम्नलिखित अवसरों पर उत्सव, सभाएँ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है।

- 1. स्वतंत्रता दिवस : दिनांक 15 अगस्त
- युगपुरुष महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्य तिथि : सितम्बर में (तिथि के अनुसार)
- 3. महाराणा प्रताप जयन्ती एवं पुण्यतिथि : जयंती- 09 मई, पुण्यतिथि- 19 जनवरी
- गाँधी एवं शास्त्री जयन्ती : दिनांक 2 अक्टूबर
- 5. संस्थापक समारोह : दिनांक 04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक
- 6. स्वामी विवेकानन्द जयन्ती : दिनांक 12 जनवरी
- 7. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती : दिनांक 23 जनवरी
- 8. गणतंत्र दिवस : 26 जनवरी
- 9. भाषण प्रतियोगिता ७ नवम्बर

ජුමෙස් කිමෙස් කිමෙස්

- 10. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 8 नवम्बर
- 11. प्रश्न मंच प्रतियोगिता 9 नवम्बर
- 12. निबन्ध प्रतियोगिता 10 नवम्बर
- 13. वार्षिक क्रीड़ा समारोह दिसम्बर माह का तृतीय सप्ताह इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में समय-समय पर विशिष्ट व्याख्यान, संगोष्ठी, सेमीनार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

संग्रहालय

प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में एक संग्रहालय स्थापित है, जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मूर्तियाँ, अभिलेख, लिपि चार्ट, मन्दिर स्तूप, स्तम्भ की प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं। इच्छुक विद्यार्थी प्रत्येक कार्य दिवस पर इसका लाभ उठा सकते हैं।

महाविद्यालय की भावी योजनाएँ

उच्च शैक्षिक वातावरण बनाये रखने हेतु महाविद्यालय की भावी योजनायें निम्न हैं -

- गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास एवं दर्शनशास्त्र विषय में स्नातक तथा कम्प्यूटर साइंस विषय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन की योजना।
- 2. बी0सी0ए0 एवं बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों के संचालन की योजना।
- 3. 'कालेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस' के लिए प्रयासरत।
- महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कम प्रीमियम पर । लाख का 'स्ट्रडेण्ट सेफ्टी इंश्योरेंस पॉलिसी' प्रारम्भ करने की योजना।
- कौराल विकास के लिए शार्ट टर्म कोर्स (टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गृह उद्योग आदि) लागू करने की योजना।

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी शैक्षिक समस्याओं तथा अन्य व्यावहारिक किठनाइयों के निराकरण के लिए पहले मुख्य नियंता अथवा अपने संकाय के प्रभारी से सम्पर्क करें। वहाँ से निराकरण न होने पर ही प्राचार्य से मिलें। प्राचार्य के आदेश से इस नियमावली में आवश्यकतानुसार किसी भी समय परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। इस नियमावली के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार जो निर्देश या नियम जारी किये जायेंगें, उनका पालन करना महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थों के लिए अनिवार्य है।

प्राध्यापक मण्डल

क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग	अनुदानित
1.	डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह	प्राचार्य/एसोसिएट प्रोफेसर	रक्षा अध्ययन	77
2.	डॉ. वीणा गोपाल मिश्र	एसोसिएट प्रोफेसर	राजनीति विज्ञान	n
3.	डॉ. रामलाल गाडिया	एसोसिएट प्रोफेसर	समाजशास्त्र	11
4.	डॉ. तेज प्रताप शाही	एसोसिएट प्रोफेसर	प्राचीन इतिहास	- 33
5.	डॉ. अरुण कुमार तिवारी	एसोसिएट प्रोफेसर	बी.एड.	n
6.	डॉ. गीता सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	बी.एड.	"
7.	डॉ. श्रीभगवान सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	रक्षाअध्ययन	"
8.	डॉ. सत्येन्द्र प्रताप सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	हिन्दी	,,
9.	डॉ. शशिप्रभा सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	n
10.	डॉ. सरोज शाही	एसोसिएट प्रोफेसर	बी.एड.	- 11
11.	डॉ. सत्यपाल सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	अर्थशास्त्र	n
12.	डॉ. रविन्द्र कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	संस्कृत	n
13.	डॉ. धीरेन्द्र सिंह	एसोसिएट प्रोफेसर	प्राचीन इतिहास	"
14.	डॉ. राजशरण शाही	एसोसिएट प्रोफेसर	बी.एड.	"
15.	डॉ. नित्यानन्द श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर	हिन्दी	211
16.	डॉ. शुभ्रा श्रीवास्तव	एसोसिएट प्रोफेसर	बी.एड.	an .
17.	डॉ. अर्चना सिंह	एसोसिएट प्रोफेंसर	समाजशास्त्र	11
18.	श्री विवेक कुमार शाही	असिस्टेंट प्रोफेसर	मनोविज्ञान	n
19.	श्री अवधेश कुमार शुक्ल	असिस्टेंट प्रोफेसर	शारीरिक शिक्षा	"
20.	श्री अनिल भास्कर	असिस्टेंट प्रोफेसर	भूगोल	"
21.	श्री धर्मचन्द विश्वकर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर	वनस्पति विज्ञान	"
22.	श्री सुरेश चौहान	असिस्टेंट प्रोफेसर	प्राचीन इतिहास	"
23.	डॉ. राम प्रसाद यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर (मानदेय)	रक्षा अध्ययन	11

FROM SERVE SERVE SERVE SERVE SERVE SERVE SERVE SERVE

සුලකුස් සමෙස් සමෙස් සමෙස් සමේ 23 මාස් සමෙස් සමෙස් සමෙස් සමෙස්

蒸和	नाम	पद नाम	विभाग	स्ववित्तपोषित
24.	डॉ. नीरज कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	वाणिज्य	,,
25.	डॉ. संजीव कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	वाणिज्य	"
26.	डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर	वाणिज्य	21
27.	डॉ. चण्डी प्रसाद पाण्डेय	असिस्टेंट प्रोफेसर	वाणिज्य	21
28.	डॉ. राकेश कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	हिन्दी	"
29.	श्री भगवान सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	हिन्दी	
30.	डॉ. कमलेश कुमार मौर्य	असिस्टेंट प्रोफेसर	भूगोल	11
31.	श्री पवन कुमार पाण्डेय	असिस्टॅट प्रोफेसर	कम्प्यूटर साइंस	21.
32.	डॉ. अनूप राय	असिस्टेंट प्रोफेसर	भूगोल	.01
33.	डॉ. अनुपमा मिश्र	असिस्टेंट प्रोफेसर	भृगोल	11
34.	डॉ. अमरनाथ त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर	वाणिज्य	-))
35.	डॉ. रवीन्द्र कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर	भूगोल	n
36.	डॉ. संजीत कुमार सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	भूगोल	n
37.	श्री वार्ष्णेय तिवारी	असिस्टेंट प्रोफेसर	कम्प्यूटर साइंस	n
8.	श्री मित्रपाल सिंह	अवैतनिक अवकाश	हिन्दी	**
9.	डॉ. कीतिं कुमार जायसवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	गणित	11
0 7	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह	अवैतनिक अवकाश	रक्षा अध्ययन	प्रबन्धकीय
1.	श्री अरुणेन्द्र नाथ त्रिपाठी	असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिक विज्ञान	11
2 5	श्री यदुपति कुशवाहा	असिस्टेंट प्रोफेसर	भौतिक विज्ञान	11
See also	डॉ. रुक्मिणी चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर	शिक्षाशास्त्र	32
3	र्जे. विभा पाण्डेय	असिस्टेंट प्रोफेसर	अंग्रेजी	77
NO	ॉ. मनीष श्रीवास्तव	असिस्टेंट प्रोफेसर	रसायन विज्ञान	n
in sec	ॉ. व्यंकट रमण पाण्डेय	असिस्टेंट प्रोफेसर	मनोविज्ञान	"
100 mm		असिस्टेंट प्रोफेसर	शिक्षा शास्त्र	n
		असिस्टेंट प्रोफेसर	वनस्पति विज्ञान	"

(क) तृतीय श्रेणी संवर्ग

क्र.सं	नाम	पद नाम	अनुदानित
L	श्री रामअवध मीर्च	कार्यालय अधीधक	"
2	श्री अंकित सिंह	सहायक लेखाकार	,,,
3	श्री विजय प्रताप नारायण पाठक	कार्यालय सहायक	"
4	श्री संतोष कुमार त्रिपाठी	कार्यालय सहायक	n
5	श्री गोसख प्रसाद	कार्यालय सहायक	,,
6	श्री दिव्य कुमार सिंह	कार्यलय सहायक	"
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान विभाग	"
8	श्री अशोक कुमार सिंह	प्रयोगराला सहायक प्राणि विज्ञान विभाग	
9	श्री शिकेंद्र पाल	प्रयोगशाला सहायक रसायनशास्त्र विभाग	,,
10.	श्री सूबेदार राम	प्रयोगशाला सहायक भूगोल विभाग	n
11.	श्री कुलदीप शाही	कार्यालय सहायक (वाणिज्य)	प्रबन्धकीय
12	श्री एकेश सिंह	नियन्ता कार्यालय	"
13.	श्री अवय कुमार शर्मा	कार्यालय सहायक	
14	श्री बृजेश विश्वकर्मा	कार्यालय सहायक (कम्प्यूटर)	,,,
15	श्री अरविन्द कुमार मीर्य	कार्यालय सहायक (परास्तानतक कक्षार्र)	.,
16	श्री कृतेश कुमार सिंह	कार्यातय सहायक	n
17.	श्री अजय प्रताप यादव	पुस्तकालय सहायक	n
18.	श्री अरवनी कुमार	पुस्तकालय सहायक (कम्प्यूर)	"

MORE SOME SOME SOME SOVE 25 THE SOUR SOURS SOURS

क्रसं	नाम	पद नाम	प्रबन्धकीय
18	ब्रे तसन वय	प्रयोगसाला सहस्यक (कम्प्यूटर साईस विभाग)	
30.	हो संतेष कुमार क्षंम	प्रयोगलला सहायक (भौतिक विज्ञन विभाग)	
21.	ह्ये क्यलेखा पैर्व	कम्प्यूटर आपरेटर IQAC	10
11	भी नवीन कुमार सिह	पुरतकारमा लिपिक	"

(ख) चतुर्थ श्रेणी संवर्ग

東屯	नाम	यद नाम	अनुदानित
1.	श्री परशुराम यादव	दफ्तरी	n n
2	श्री अली हुसैन	सफाई कमी	17
3.	श्रीमती सरस्वती देवी	परिचर	"
4	श्री भगवान दास	प्रयोगशाला परिचर	"
5.	श्री विश्वनाथ	प्रयोगशाला परिचर	n
6	श्री राजेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला परिचर्	" "
7.	श्रीमती आनन्दी सिंह	परिचर	"
8.	श्री शिवेन्द्र कुमार यादव	परिचर	13
9.	श्री अजय कुमार पाण्डेय	परिचर	n
10.	श्री सोम बहादुर	चौकीदार	,,
li.	श्री अमरनाथ चौधरी	परिचर	n
12	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिचर	n

大學的人 大學的人 大學的人 大學的人 大學的人 大學的人 大學的人 大學的人

ක්ෂාප ක්ෂාප ක්ෂාප ක්ෂාප කණ 26 මාජ ක්ෂාප ක්ෂාප ක්ෂාප ක්ෂාප

(ख) चतुर्थ श्रेणी

क्र.सं.	नाम	पद नाम	अनुदानित
13.	श्री महेन्द्र प्रसाद	परिचर	"
14.	श्री राजेन्द्र शर्मा	परिचर	n
15.	श्री अभय कुमार सिंह	परिचर	n
16.	श्री श्रीप्रकाश सिंह	परिचर	"
17.	श्री प्रभुदयाल सिंह	परिचर	n
18.	श्री देवेन्द्र मणि भारती	परिचर	"
19.	श्री जटाशंकर नाथ	प्रयोगशाला परिचर	"
20.	श्री राजकुमार	प्रयोगशाला परिचर	"
21.	श्रीमती अमिता रावत	परिचर	n
22.	श्री दिलीप कुमार पटेल	परिचर (वाहन चालक)	प्रबन्धकीय
23.	श्री कैलाश नाथ शर्मा	परिचर (विद्युत सहायक)	,,
24.	श्री शैलेष यादव	परिचर (साइकिल स्टैण्ड)	n
25.	श्री केशभान	परिचर (साइकिल स्टैण्ड)	n
26.	श्री रमेश	परिचर	,,
27.	श्री आफताब	सफाई कमीं	"
28.	श्री जितेन्द्र गौड्	परिचर	,,

2005 2005 2005 2005 200 27 105 2005 2005 2005 2005

क्र.सं.	नाम	पद नाम	प्रबन्धकीय
29.	श्री शंकर गौड़	परिचर	,,
30.	श्री शोएब	सफाई कर्मी	,,
31.	संजय यादव	चौकीदार	
32.	मोहित	परिचर	"
33.	अमर सिंह रावत	परिचर	"
34.	संदीप	परिचर	22
35.	अनिल राव	परिचर	"

महिला छात्रावास

क्र.सं.	नाम	पद नाम
1.	डॉ. सुनीता श्रीवास्तव	अधीक्षक
2.	श्री अभिषेक पाण्डेय	कार्यालय सहायक
3.	श्री वीरेन्द्र पाल	परिचर
4.	श्री महेन्द्र सिंह	परिचर
5.	श्रीमती आसमां	सफाई कर्मी

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद का अध्ययन केन्द्र (कोड: एस-520) हमारी संस्था में विगत कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों से व्यवसाय कर रहे लोग तथा कहीं भी नौकरी कर रहे महिला/पुरुष लाभ उठा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में वर्ष में दो बार (जनवरी तथा जुलाई) प्रवेश होता है। अध्यर्धी द्वारा जमा किए गए शुल्क में ही उन्हें अध्ययन सामग्री उपलब्ध करायी जाती है। इस व्यवस्था से जुड़ी सभी सूचनार्ये महाविद्यालय के अध्ययन केन्द्र अथवा मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट Website: http://admission.onlineuprtou.in/ से प्राप्त की जा सकती है। अनुमोदित पाठ्यक्रम की सूची निम्नवत है।

डिप्लोमा सर्टिफिकेट: PGDCA, PGDD, PGD-ESD, PGDJMC GDRJMC, PGDWH, APHFE, CCY, DRD, DCY

स्नातक:

B.A., B.Com., BBA, BCA, BLIS, B.Sc. (Bio & Maths), UGSS-Arts, UGSS-SC

स्नातकोत्तर :

M.Com., MBA, MCA, MLIS MA-Economics, Education, English Hindi, History, Political Science Sanskrit, Sociology.

इसके अतिरिक्त जो भी विषय/डिप्लोमा पाठ्यक्रम मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित होते है, उन सभी विषयों के अध्ययन का लाभ सम्बद्ध अध्यर्थी उठा सकते है।

मातृ संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्

का



यह महाराणा प्रतापाख्यावती। शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दािकनी॥ नाथ मन्दिर की अखण्ड ज्योति से, प्रज्ज्विति यह भारती की आरती। यह भगीरथ से व्रती व्यक्तित्व की, दिग्वजय की यशो-गाथा पावनी॥॥। शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दािकनी॥

सिद्ध श्री गोरक्ष की विज्ञान-भू में, बुद्ध-वीर कबीर की निर्वाण-भू में। ज्ञान की धात्री चरित्र-विधान की, राप्ती पर प्रकट विद्या-वनी॥२॥ शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दाकिनी॥

हों प्रताप समान फिर युवजन कृती, देशभक्त, स्वधर्म-निष्ठ, कुलवृती। इसलिए सारस्वतानुष्ठान यह, शैक्षणिक जागर्ति की कादम्बिनी॥३॥ शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दाकिनी॥

पातृ संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर

ख्यां चार्व

आहिन्दुकुश भरत-खण्ड में, सप्त द्वीप में, भुवन अण्ड में, धर्म-नीतिमय कनक दण्ड में, लहर-लहर लहरेऽऽ। केमरिया ध्वज फहरे। राम-कृष्ण-अर्जुन के रथ का, बलिटानी ज्योतिर्मय पथ का, तपस्थाग का ध्यान-ज्ञान का, चिर निशान फहरे ऽऽ। केसरिया ध्वज फहरे। लहर-लहर लहरे ऽऽ।। वीर शिवा-राणा प्रताप का, भगवा ध्वज प्यारा ऽऽ। छत्रसाल, गुरुगोविन्द सिंह का, यह निशान न्यारा ऽऽ। देश-धर्म पर बलि-बलि जाने, का आह्वान करे ऽऽ। केसरिया ध्वज फहरे। लहर-लहर लहरे ऽऽ।। आओ इसी ध्वजा के नीचे, पुनर्जागरण मन्त्र उचारें। कीर्तिशेष इतिहास उवारें, क्षत,विक्षत भूगोल सँवारे। फिर गाण्डीव उठे हाथों में, पाञ्चजन्य मुखरे ऽऽ। केसरिया ध्वज फहरे लहर-लहर लहरे ऽऽ।।